जेल, कारावास से सम्बन्धित प्रावधान व गतिविधियाँ

*न्यायमूर्ति एन. के. जैन

कारावास सम्बधित प्रावधान दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, के अध्याय 32 में सेक्शनस् 413 से 435 में वर्णित है। धारा–417 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, के अनुसार, किसी व्यक्ति जिसे कारावासित किया जाना हो, उसे जेल में भेजने के लिए न्यायालय या मजिस्ट्रेट निर्देश दे सकता है। राज्य सरकार निर्देश दे सकती है कि कारावासित व्यक्ति को किस स्थान में परिरूद्ध किया जाएगा।

संविधान और दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन कारावास का निलम्बन, परिहार और लघुकरण किया जा सकता है।

जेलों का वातावरण सुधारने के प्रयास में आयोग द्वारा दिनांक 25/1/2006 को कार्यशाला आयोजित की गई । जिसमें राज्य के माननीय ग हमंत्री, न्यायाधिपति श्री आर.एस. चौहान, डी.जी.,जेल्स्, गृहसचिव, विधि सचिव, राज्य के सम्बन्धित जेल अधिकारीगण व राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों तथा अध्यक्ष ने कारावासित व्यक्तियों की सुधारात्मक कार्यवाही के लिए चर्चा की । जेल में बंदियों की आकास्मिक मृत्यु व प्रताड़ना आदि सम्बन्ध में चर्चा हुई तथा कार्यशालाओं में कहा गया कि जेलों **में मरम्मत, साफ-सफाई के साथ जेलों का** वातावरण सुधारने पर ही बंदी का आचरण सुधर सकता है। जेल में आते ही बंदी का स्वास्थ्य परीक्षण हो । पैरोल पर छोड़ने की नीति लचीली होनी चाहिए। बंदियों को बेहतर इंसान बनाने के लिए उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरी कार्यशाला दिनांक 9/10/2006 को डी.जी, जेल्स्, संबंधित आई.जी., पुलिस एवं जेल अधिकारीगण व सामाजिक व स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ आयोजित की गई।

जेल अधिकारी एवं कर्मचारी वस्तुस्थिति के साथ संवदेनशील होकर कार्य करें। आयोग ने अपनी रिपोर्ट व सुझाव संबंधित अधिकारियों के साथ राज्य सरकार को भी प्रेषित की।

आयोग के प्रयास पर माननीय डी.जी., जेल द्वारा कारागृहों में चल रही सुधारात्मक गतिविधियाँ की कुछ जानकारी प्राप्त की गई है। जिससे जेल में अपनी सजा के दौरान निरक्षर बंदियों को साक्षर बनाने के साथ शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उद्योगों की जानकारी व परिक्षण व अपनी सजा भुगतने के बाद समाज में आकर बेहतर नागरिक बनाकर अपना तथा अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर सकें ।

इसके अलावा कई आधुनिकरण योजनाओं पर विचार चल रहे है। साथ में जयपुर जेल में बेकरी, उदयपुर में गौशाला, जोधपुर में बंदी खेलकूद एवं सास्कृंतिक प्रतियोगिता भविष्य में अलग से आयोजित करने का विचार है ।

इसकी कुछ सक्षिप्त जानकारी जनहित में व खासतौर से कारावासित व्यक्तियों के लिए दी जा रही है । जिससे उनको लाभ मिल सकें व जेल के बाद अच्छे नागरिक साबित हो।

सुधारात्मक गतिविधियाँ जैसे –

1. कारागृहों में शैक्षणिक कार्यक्रम :

(अ) साक्षरता

कारागृहों में भी शिक्षित बंदियों द्वारा निरक्षर बंदियों को साक्षर करने के लिये प्रेरित किया जाता है।

(ब) उच्च शिक्षा

बंदियों को कारागृह में रहते हुए अपनी शिक्षा में बढ़ोतरी करने के लिए औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमान्तर्गत राज्य के माध्यमिक बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न स्तर की परीक्षाओं में बैठने की सुविधाएं सुलभ कराई जाती हैं।

(स) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)

केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का

अध्ययन केन्द्र स्थापित है। इस केन्द्र में विभिन्न व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में बंदियों द्वारा शिक्षा गृहण करने का प्रावधान किया हुआ है।

इग्नू के अधिकांश पाठयक्रम बंदियों को रोजगार दिलाने में सहायक हैं। इससे बंदी स्वावलंबी हो सकेगें एवं कारागृहों से रिहा होने के बाद समाज में पुर्नस्थापित होकर अपना स्थान बना सकेगें।

2. तकनीकी शिक्षा

केन्द्रीय कारागृह, जयपुर एवं अजमेर में राजस्थान तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से एक आई.टी.आई. संचालित है। इसमें दंडित बंदियों को सजा भुगतते हुए फिटर एवं हाउस वायरिंग पाठ्यक्रमों का दो वर्षीय कोर्स एवं मैकेनिक डीजल, कारपेन्ट्री, वायरमैन कंटिग एवं स्विगं का प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है।

3. चिकित्सा सुविधाएं

राजस्थान राज्य की कारागृहों में बंदियों के स्वास्थ्य की सुचारू देख रेख की व्यवस्थाएं की जा रही है। इस हेतु राज्य की केन्द्रीय एवं ''ए'' श्रेणी जिला कारागृहों पर पूर्णकालीन चिकित्सा अधिकारियों व पूर्ण कालीन औषधी संयोजक व अंशकालीन चिकित्सा अधिकारी के पद स्वीकृत है। तथा समस्त उप कारागृहों हेतु अंशकालीन औषधी संयोजक व चिकित्साधिकारियों के पद स्वीकृत है। ईलाज हेतु वहाँ स्थित राजकीय चिकित्सालयों में भी भेजा जाता है। जेल आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत केन्द्रीय कारागृह जयपुर एवं जोधपुर में पैथोलोजिक लैब की स्थापना की गई है। जिसमें बंदियों को अल्ट्रा साउण्ड सिस्टम, एक्स–रे सिस्टम, एक्स–रे मशीन, सेमी ऑटो एनेलाइजर और ऑडियो मॉनिटर आदि की सुविधा उपलब्धता की व्यवस्था की गई है। पैथोलोजिकल लैब हेतु 2 जूनियर स्पेशलिस्ट (रेडियो डायग्नोसिस) 2 सहायक रेडियो ग्राफर एवं 2 लैब टेक्निशियन के पद बंदियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से स्वीकृत कराये गये हैं।

4. बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता

राज्य की कारागृहों में बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाने में सहयोग के लिए विधिक सहायता केन्द्र खुले हुए है।

5. बंदियों को कारवास कालीन अवकाश सुविधा (पैरोल)

बंदियों में अनुशासन एवं सदाचार की भावना विकसित करने के उददेश्य से इन्हें कारावास कालीन सामान्य नियमित अवकाश सुविधा प्रदत्त की जाती है। इसके अतिरिक्त बंदी के निकट संबंधी की मृत्यु गंभीर बीमारी, विवाह हेतु तत्काल पैरोल जेल अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट/ महानिरीक्षक कारागार द्वारा प्रदान किया जाता है।

6. बंदियों को बंदी खुले शिविरों में भेजना

बंदियों में अच्छे एवं स्व–अनुशासन के आचरण को बढ़ावा देने के लिए रिहाई से पूर्व बंदी खुले शिविरों में रहकर इन्हें सामाजिक समायोजन एवं आर्थिक रूप से स्वयं निर्भरता अर्जित करने का अवसर दिया जाता है । राजस्थान बंदी खुला शिविर नियम 1972 के नियमों के अन्तर्गत राज्य की कारागृहों के ऐसे बंदियों को जिन्होंने अपनी कुल सजा का 1/3 भाग रेमीशन सहित पूरा कर लिया है और जिनका आचरण कारागार हों में अच्छा रहा है, को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशों पर बंदियों को खुले बन्दी शिविरों में भेजा जाता है।

7. बंदियों को समयपूर्व रिहाई

सजा भुगतने के दौरान बंदियों में हुए सुधार को दृष्टिगत रखते हुए शेष सजा माफ कर समय पूर्व रिहाई करके इन्हें समाज में पुर्नस्थापित होने का अवसर दिया जाता है। राजस्थान प्रिजन्स (शार्टनिंग ऑफ सैन्टेन्सेज) रूल्स, 1958 के अन्तर्गत दण्डित बंदियों को समय पूर्व रिहाई के मामलों पर विचार हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय एवं जिला कारागृहों पर सलाहकार मंडलों का गठन किया हुआ है। सलाहकार मण्डल बंदियों के समय पूर्व रिहाई प्रकरणों पर विचार कर बंदियों को छोड़े जाने की सिफारिश राज्य सरकार को करते है और राज्य सरकार द्वारा सलाहकार मण्डलों की सिफारिश को दृष्टि में रखकर बंदियों को समय पूर्व छोड़े या छोड़े जाने का निर्णय लिया जाता है।

8. विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों का पुनरीक्षण

कारागृह में बंद विचारधीन बंदियों के प्रकरणों की आवधिक समीक्षा के

लिए प्रत्येक जेल में एक समिति का गठन किया हुआ है। इस समिति में मुख्य न्यायिक दण्डनायक अध्यक्ष, जिला दण्डनायक का प्रतिनिधि, अधीक्षक आरक्षी का प्रतिनिधि, जिला परीवीक्षा अधिकारी, सदस्य व प्रभाराधिकारी, जिला कारागृह सदस्य सचिव होते है। राज्य सरकार द्वारा इस समिति में प्रत्येक जिले में दो–दो जन प्रतिनिधियों को गैर –सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है। इस समिति की बैठक प्रतिमाह करने का प्रावधान है। जिसमें लंबी अवधि से विचाराधीन रहते हुए न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे बंदियों के प्रकरणों की समीक्षा की जाकर प्रकरणों के निरस्तारण बाबत सुझाव दिए जाते है।

9. बंदी कल्याण कोष

कारागार में बंदियों के कल्याण संबंधी कार्य हेतु बंदी कल्याण कोष की स्थापना की हुई है। बंदियों को चिकित्सक की राय से चश्मा, परीक्षा शुल्क/पुस्तकें, लेखन सामग्री एवं खेलकूद , मनोरंजन के उपकरण क्रय करने, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने/ उत्सवों के आयोजन एवं प्रवचन एवं पाठ आदि पर होने वाला व्यय इस कोष से वहन किया जाता है।

10. खेलकूद एवं मनोरंजन सुविधा

बंदियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए इन्हें खेलकूद एवं मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। देश विदेश की ताजा घटनाओं की जानकारी एवं ज्ञानवर्धन हेतु समाचार–पत्र, पत्रिकाएं पुस्तकें आदि दी जाती है। कारागृहों में टी.वी. रेडियों, कैसेट प्लेयर आदि की सुविधा भी उपलब्ध है। समय–समय पर ज्ञानवर्धक चलचित्र भी बंदियों को दिखाए जाते है। बंदियों के लिए योग, आर्ट ऑफ लिविंग, विपश्यना, प्रेक्षाध्यान के शिविर स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से लगवाये जाते हैं। उन्हें चरित्र निर्माण संबंधी एवं अन्य नैतिक शिक्ष/धर्मज्ञान के संदेश भी अपेदशकों के माध्यम से दिये जाते हैं।

11. बंदी बैण्ड

राजस्थान राज्य की केन्द्रीय, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर एवं कोटा पर बंदी बैण्ड स्थापित है इन कारागृहों पर बंदियों को बैण्ड के वाद्य यंत्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा निजी उत्सवों पर निर्धारित शुल्क पर बंदी बैण्ड भेजे जाते हैं तथा इनसे प्राप्त आया का आधा भाग बंदी बैण्ड में कार्य करने वाले बंदियों में वितरित किया जाता हैं तथा शेष आधे भाग का उपयोग बैण्ड के साजो सामान को क्रय करने, उनकी मरम्मत आदि पर व्यय किया जाता है।

12. कारागृह उद्योग

राज्य की 9 कारागृहों में दंडित बंदियों को विभिन्न व्यवसायों यथा दरी, निवार, कपड़ा बुनाई, सिलाई, कारपेन्ट्री, होजरी, लुहारी आदि में प्रशिक्षित किया जाता है। कपड़ा बुनने के लिए पावर चलित मशीने स्थापित की गई है। उद्योगों में बंदियों को दो श्रेणियों में (अकुशल व कुशल) विभक्त कर अकुशल श्रमिक को 9 रूपये प्रति दिवस का नियत कार्य करने पर कुशल श्रमिक को 11 रूपये प्रति दिवस का नियत कार्य पूरा करने पर श्रम भुगतान का नियमों में प्रावधान करवाया गया है इस राशि में से 25 प्रतिशत हिस्सा पीड़ित पक्ष को भुगतान हेतु आरक्षित रखने का प्रावधान भी किया गया है ।

बंदियों को भी उनके द्वारा जाने–अनजाने में किये गये अपराधों का प्रायश्चित करने एवं दुबारा अपराध में लिप्त न होने का संकल्प लेने के साथ–साथ आत्मचिन्तन करना होगा। उन्हें अपने भावी जीवन में आम नागरिक बनकर आत्मविश्वास को जागृत करने एवं अपने पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन को सफल बनाने की सोच को उजागर करने का पुनः अवसर मिले, **इसके लिये समाज को भी अपनी सोच सकारात्मक करनी होगी**। ऐसी अपेक्षा यह आयोग करता है।

बंदियों का उनकी उम्र, सजा एवं व्यवहार के अनुसार जेल के संवेदनशील अधिकारियों को वर्गीकरण करना चाहिये। जैलों की बैरक साफ सुथरी होने के

साथ पुरूष व महिलाओं के लिए अलग–अलग सुलभ व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ एक शिकायत पुस्तिका भी होनी आवश्यक है ताकि बंदीगण अपनी रोजमर्रा की शिकायतें उसमें दर्ज करा सकें । जिससे की बंदियों में Discrimation की भावना नहीं पनपेगी। इन शिकायतों का यथा संभव निवारण करना जैल प्रशासन का दायित्व होना चाहिये। जिससे प्रशासन की भी अधिक जवाब देह एवं पारदर्शी छवि उभर कर सामने आये। महिला बंदियों के छोटे बच्चों के लिए क्रेच एवं बड़े बच्चों के लिए शिक्षा, खेलकूद, कम्प्यूटर शिक्षा एवं सभी के लिये योग/प्राणायाम के प्रशिक्षण की सुविधा भी प्रदान करना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। इस व्यवस्था से बंदियों की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव एवं अपराधों की संरचना में आवश्यक रूप से कमी आयेगी। इस दिशा में जेल प्रशासन द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं की सेवाओं का उपयोग करने में भी गुरेज नहीं किया जाना चाहिये, अपितु ऐसी कार्यरत संस्थाओं को बंदियों के कल्याणार्थ किये जाने वाले कार्यों में मदद के लिये और अधिक प्रोत्साहित किया जाना एक सार्थक कदम होगा ।

विडियो कांफ्रेसिंग शुरू करने से सुनवाई हेतु विचाराधीन बंदियों को जेल से बाहर ले जाने एवं लाने पर होने वाले व्यय एवं असुरक्षा में भी काफी हद तक कमी आयेगी। इससे सुरक्षा कर्मियों को भी ऐसे बंदियों को बार–बार ले जाने एवं लाने की जहमत नही उठानी पड़ेगी, बल्कि इस बंदोबस्त पर होने वाले अनावश्यक खर्च पर अंकुश लगेगा तथा किसी भी अप्रिय घटना को प्रतिरूप देने की अपराधिक गतिविधियों पर प्रत्यक्ष रोक लगेगी एवं कोर्ट परिसरों में बैरक्स की कमी भी नहीं खलेगी।

हालांकि राज्य सरकार जैल अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कल्याण एवं उनकी सुविधाओं के संबंध में पूर्ण जागरूक है, फिर भी आयोग यह महसूस करता है कि संबंध में सरकार को बहुत कुछ करना है तथा अपेक्षा करता है कि जेलकर्मियों एवं उनके परिवार के बेहतर भविष्य के लिये राज्य सरकार एक कार्ययोजना लागू करे। ताकि उनकी सेवाओं के मध्यनजर समय

पर पदौन्नति, कार्यक्षमता एवं योग्यतानुसार कार्य का निर्धारण एवं सुरक्षा आदि सुनिश्चित की जा सके। जिससे जेलकर्मी भी निश्चित होकर समर्पित व संवेदनशीलता से अपनी सेवायें प्रदान कर सकें ।

इसके अलावा सुधार के नये प्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए तथा समर्पित स्वयं सेवी संस्थाओं से मदद लेनी चाहिए।

सभी कुछ सरकार व प्रशासन की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। जिससे सभी अधिकारी व जेलकर्मियों के अधिक संवेदनशीलता से काम करने पर मानवाधिकारों के हनन को रोकने में कमी आयेगी ऐसा आयोग का मानना है।

आशा है कि कारावासित व्यक्तियों के लिए उपरोक्त जेल की गतिविधियों की जानकारी का फायदा लेगें। सभी जेल में कार्यरत पुलिसकर्मी मानवीय संवेदनशीलता से काम करेंगे तथा योजनाओं को क्रियान्वित करने में अपना पूरा सहयोग देगें। डी.जी., जेल्स व होम डिपार्टमेंट का इन योजनाओं को पूरी तरह पालन करायें। इसके अलावा सरकार का यह भी दायित्व है कि पीड़ित पक्ष के लिए कोई ठोस योजना जेल अधिकारियों के माध्यम से या सरकार स्वयं बनाये, ऐसी अपेक्षा है।

राज्य मानवाधिकार आयोग अपने लीगल लिट्रेसी एवं अवेयरनेस प्रोग्राम की कड़ी में यह तेरहवीं बुकलेट ''जेल, कारावास में सुधारात्मक गतिविधियों'' द्वारा नागरिकों व कारावासित व्यक्तियों के हित में प्रकाशित की जा रही है।

आशा है इस बुकलेट के माध्यम से कारावासित व्यक्तियों को सुयोग्य नागिरक बनने में मदद मिलें व नागरिकों के मानवाधिकार के हनन को रोकने में कमी आयें।

30.10.2006 ❑ ❑

* अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति, मद्रास व कर्नाटक हाईकोर्ट। आर-3, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302 005

Human Rights
Legal Literacy & Awareness Series - 13/2006

जेल, कारावास से सम्बन्धित प्रावधान व गतिविधियाँ

न्यायमूर्ति एन.के. जैन
चैयरपर्सन

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग
एस.एस.ओ. बिल्डिंग
शासन सचिवालय, जयपुर

जेल, कारावास से सम्बन्धित प्रावधान व गतिविधियाँ

न्यायमूर्ति एन.के. जैन
चैयरपर्सन

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग
एस.एस.ओ. बिल्डिंग
शासन सचिवालय, जयपुर

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जनोपयोगी प्रकाशन

मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार, जागरूकता एवं अधिकारों के संरक्षण हेतु राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जनोपयोगी प्रकाशन :-

1. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की पुस्तिका।
2. आयोग की कार्यविधि की जानकारी हेतु ब्रोसर।
3. राज्य आयोग के कार्य एवं उसमें निहित शक्तियां एवं प्रसंज्ञान लेने वाले प्रकरणों की जानकारी संबंधी लघु पुस्तिका।
4. मानवाधिकार संरक्षण लघु पुस्तिका।
5. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2000-2002.
6. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003.
*7. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004.
8. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005.
9. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006.
10. त्रैमासिक न्यूज लेटर संयुक्तांक/विशेषांक- 2005.
11. त्रैमासिक न्यूज लेटर अप्रेल 2006 से जून 2006.
12. लघु पुस्तिकाएं
    - (i) बालकों के अधिकार।
    - (ii) अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसम्बर।
    - (iii) एच.आई.वी. एड्स एवं मानवाधिकार।
    - (iv) मानवाधिकार और जैन धर्म।
    - (v) आयोग की कार्यविधि, शक्तियां एवं परिवादों की निरस्तारण प्रक्रिया।
    - (vi) आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ।
    - (vii) भारतीय संविधान की अनुच्छेद-21 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण'।
    - (viii) महिलाओं के अधिकार- संबंधित अधिनियमों की संक्षिप्त जानकारी।
    - (ix) दलितों के अधिकार।
    - (x) मानव अधिकार और राज्य की जनोपयोगी योजनाएं।
    - (xi) गिरफ्तारी (Arrest)
    - (xii) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
    - (xiii) जेल, कारावास से संबंधित प्रावधान व गतिविधियाँ

©

STATES HUMAN RIGHT CHAIRPERSON NAME, PHONE NO. & ADDRESS LIST

S.No	Chairperson Name	State	Address	Phone No.	E-Mail Address
	Hon'ble Dr. Justice A.S. Anand	NHRC, New Delhi	NHRC, Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi 110001	91-11-23382514	chairnhrc@nic.in
1.	Justice Shri B. Subhashan Reddy	Andhra Pradesh	"Gruhakalpa" M.J. Road, Hyderabad - 500001	040- 24601574	umanrights@ap.nic.in
2.	Justice Shri Sailendu Nath Phukan	Assam	Statfed H.O. Building, Bhangagarh Guwahati - 781005	0361-2527076	hrca@sancharnet.in
3.	Justice Shri Ali Mohammad Mir	Jammu & Kashmir	Dawn Building, Dalgate, Srinagar- 11901	0194- 2454046	
4.	Justice Shri V.P. Mohan Kumar Acting Chairperson	Kerala	M.P. Appan Road, Vazhuthacaud Thiruvananthapuram - 695014	0471- 2337145	kshrctvpm@vsnl.net
5.	Justice Shri D.M. Dharmadhikari	Madhya Pradesh	Paryavas Bhawan, Arera Hills, Jail Road, Bhopal - 462001	0755- 2764505	mphrc@sancharne.in
6.	Shri C.L. Thool Acting Chairperson	Maharashtra	9, Hajarimal Somani Marg, Near CST Railway station, Mumbai- 400001	022- 22078962	
7.	Justice Shri W.A. Shishak	Manipur	Courts Complex, Lamphel, Imphal - 795004	0385 - 2410473	mhrc@man.nic.in
8.	Justice Shri D.P. Mohapatra	Orissa	Orissa State guest house, Room No. 1,2,3,4 Ground Floor, Bhubaneswar, Orissa	0674- 2563746	2405094
9.	Justice Shri R.L. Anand Acting Chairperson	Punjab	SCO No. 20,21,22, Sector 34A, Chandigarh - 160001	0712 - 2600501	
10.	Justice Thiru S. Thangaraj Acting Chairperson	Tamil Nadu	Justice Pratap Singh Maaligai , 2^{nd} floor, No. 35, Vi-Ka-Salai. Royapettah, Chennai – 600014	28114405	
11.	Justice Shri A.P. Mishra	Uttar Pradesh	1/183, Vineet Khand Gomati Nagar, Lucknow - 226010	0522- 2726742	phrc@sancharnet.net
12.	Justice Shri Shymal Kumar Sen	West Bengal	Bhabani Bhawan, Alipore Kolkata - 700027	033 - 24797259	bhrc@cal3.vsnl.net.in
13.	Shri Lal Jayaditya Singh Acting Chairperson	Chhatisgarh	Near Mantralaya, Raipur- 492001	0771 - 2235524	cghrcryp@sify.com
14.	Justice Shri N.K. Jain	Rajasthan	State Secretariat, S.S.O. Building Jaipur-302005	0141- 2227868	rshrc@raj.nic.in

गिरजा व्यास

अध्यक्षा

राष्ट्रीय महिला आयोग

4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002

फोन : 91-11-23237166, 23236988

फैक्स : 91-11-23236154, शिकायत प्रकोष्ठ : 91-1123219750

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग

पांचवी मंजिल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110011

श्रीमती तारा भण्डारी

अध्यक्षा

राज्य महिला आयोग

गाँधी नगर मोड, टोंक रोड, जयपुर

श्री एस. एन. गुप्ता

अध्यक्ष

जन अभाव अभियोग निराकरण समिति

मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर

अध्यक्ष

राज. राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग

एस. एस. ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर

अध्यक्ष

राज. राज्य अल्पसंख्यक आयोग

शासन सचिवालय, जयपुर

क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवाद/शिकायत पर आयोग द्वारा शीघ्र प्रभावी कार्यवाही हो?

यदि हाँ, तो कृपया अपने परिवाद/शिकायत में यथासंभव निम्न सूचना अवश्य अंकित करें :-

(क) पीड़ित व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम, जाति, निवास का पता/गाँव/शहर, डाकघर, पुलिस थाना, जिले सहित।

(ख) जिस व्यक्ति/अधिकारी/कार्यालय के विरुद्ध शिकायत है, उसका पूरा विवरण।

(ग) शिकायत/घटना/उत्पीड़न का पूरा विवरण (घटना, स्थान, तारीख, महीना, वर्ष सहित।

(घ) घटना की पुष्टि करने वाले साक्षियों के नाम-पते, यदि ज्ञात हो तो।

(ङ) घटना की पुष्टि करने में दस्तावेजी सबूत, यदि कोई हो तो।

(च) यदि किसी अन्य अधिकारी/कार्यालय/मंत्रालय को शिकायत भेजी हो तो उसका नाम एवं उस पर यदि कोई कार्यवाही हुई हो तो उसका विवरण।

(छ) क्या आपने पूर्व में इस आयोग या राष्ट्रीय आयोग में इस विषय में कोई शिकायत की है? यदि हाँ, तो उसका विवरण एवं परिणाम।

(ज) क्या इस मामले में किसी फौजदारी/दीवानी/राजस्व अदालत में या विभागीय कोई कार्यवाही हुई या लम्बित हैं? हाँ, तो उसका विवरण।

नोट : कृपया परिवाद/शिकायत पर हस्ताक्षर/अगुष्ठ चिन्ह लगाना नहीं भूलें।

परिवाद/शिकायत अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, जयपुर के पते पर भिजवाएं।

आयोग का पुर्नसंगठनात्मक संरचना (06.07.2005)

1.	न्यायमूर्ति एन.के. जैन	अध्यक्ष
2.	न्यायमूर्ति जगतसिंह	सदस्य
3.	श्री धर्मसिंह मीणा	सदस्य
4.	श्री पुखराज सीरवी	सदस्य
	श्री गिरीराज सिंह	सचिव
	श्री रामजीलाल मीणा	उप-सचिव

आयोग का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी आयोग का सचिव है। आयोग के अन्वेषण कार्य के लिये महानिरीक्षक स्तर का एक पुलिस अधिकारी नियुक्त है।

सम्पर्क सूत्र :

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर

टेलीफोन : 0141-2227868 (अध्यक्ष)

2227565 (सचिव), 2227738 (फैक्स)

E-mail : rshrc@raj.nic.in, Website : www.rshrc.nic.in